

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० १५४] नई दिल्ली, मंगलवार, जून २६, १९७३/आसाधा ५, १८९५

No. 154] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 26, 1973/ASADHA 5. 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 26th June 1973

SUBJECT.—*Trade with Bangladesh.*

No. 108(ITC(PN)/73.—Attention is invited to the late Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 57-ITC(PN)/72, dated the 20th April 1972, as amended from time to time, pertaining to trade with Bangladesh during the period from 28th March 1972 to 27th March, 1973, subsequently extended upto 27th June, 1973 as announced in the Ministry of Commerce Public Notice No. 41-ITC(PN)/73, dated the 24th March 1973.

2. It has been mutually agreed between the Governments of India and Bangladesh that these trade arrangements will continue to be in force upto the 27th September, 1973.

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय**सार्वजनिक सूचना****आयात व्यापार नियंत्रण**

नई दिल्ली, 26 जून, 1973

विषय.—बांग्लादेश के साथ व्यापार ।

संख्या 198-आई० टी० सी० (पी एन)/73.—समय-समय पर यथा संशोधित 28-3-1972 से 27-3-1973 तक की अवधि के दौरान बांग्लादेश के साथ व्यापार के बारे में जारी की गई भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या: 57-आईटीसी (पीएन)/72, दिनांक 20 अप्रैल, 1972 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है । बाद में उपर्युक्त अवधि को वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या: 41-आईटीसी (पीएन)/73, दिनांक 24 मार्च, 1973 के अनुसार बढ़ा कर 27 जून, 1973 तक कर दिया गया था ।

2. भारत तथा बांग्लादेश की सरकारों के मध्य यह परस्पर समझौता हो गया है कि ये व्यापार व्यवस्थाएं 27 सितम्बर, 1973 तक लागू रहेगी ।

एस० जी० बोस सचिव,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।